



टी बोर्ड

14, बिप्लबी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता - 700001

दिनांक: 14.09.2025

कार्यालय ज्ञापन सं. 69/2025

पूर्व कार्यालय ज्ञापन सं. 44/2025 दिनांक 13.06.2025 को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम, 155 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय क्रय समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं, जो बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध प्रत्येक अवसर पर 50,000/- रुपये से अधिक और 5,00,000/- रुपये तक की लागत वाली वस्तुओं की खरीद के लिए तत्काल प्रभाव से लागू है:-

1.	श्री बिमान साहा, स नि चा वि
2.	श्री ज्योति अर्णव गोस्वामी, स ले अ
3.	श्री शांतनु गुहा, स ले अ


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	उपरोक्त सूचीबद्ध सभी अधिकारी	
2.	बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष	
3.	वि.स एवं मु.ले.अ	
4.	उपाध्यक्ष/ वि.स एवं मु.ले.अ/सचिव के निजी सहायक	
5.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित.
6.	टीबीईए	
7.	सुरक्षा अनुभाग	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. मिसिल सं. 1(8)2025/एसआ/भाग-I